// प्रतिलिपि //

जमानत आवेदनपत्र क्र– **2493/2019**

आदेश दिनांक– **15.10.2019**

न्यायालयः **द्वादश अपर सत्र न्यायाधीश,रायपुर(छ.ग.)**

पक्षकार :–

पुनीतराम पारधी, पिता रामजी,
उम्र–24 वर्ष,
निवासी–कवीराज टोलागांव,
थाना–लालबाग, जिला–रायपुर (छ.ग.)

–––––– आवेदक/अभियुक्त

// वि रू द्ध //

छ0ग0 राज्य –––––– अनावेदक/राज्य

––––––––––––––––––––––––––––––––

पुनश्च :–

माननीय सत्र न्यायालय, रायपुर से यह जमानत आवेदन–पत्र विधिवत् निवर्तन हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ।

आवेदक/अभियुक्त **पुनीतराम पारधी** द्वारा एम.एम. अवस्थी, विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री मनोज वर्मा अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

न्यायालय श्रीमती कंचनलता आचला, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तिल्दा, रायपुर से दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 444/2019 छ.ग. राज्य विरूद्ध पुनीतराम व एक अन्य अन्तर्गत धारा 379 सहपठित

धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का अभिलेख प्राप्त।

इस आदेश के द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का निराकरण किया जा रहा है।

प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक ने आवेदन पत्र के समर्थन में यह कथन किये है कि न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत, लंबित या निरस्त नहीं हुआ है। उपरोक्त कथन के समर्थन में अभियुक्त के भाई राकेश मालिया ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र तिल्दा नेवरा द्वारा प्रार्थी तहजीब खान की लिखित शिकायत के आधार पर धारा 379 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत यह अपराध पंजीबद्ध किया है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वह ट्रक/बल्क क्रमांक सीजी 04 एल. जी–2500 में नकोडा फैक्ट्री सिलतरा से फलाईएस (राखड़) लोडकर अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री हिरमी जाने के लिए निकला था तथा उसके साथ एक और बल्कर क्रमांक सीजी 22 जी 4151 भी था जिसे इकराम खान चला रहा था। वे लोग दिनांक 10.07.

2019 की रात्रि में पेट्रोल पम्प के ऑफिस में दोनो गाडियो को अगल–बगल खडा कर अपने ट्रक में सो गये थे। रात्रि करीब 03:00 से 05:00 बजे के बीच कोई अज्ञात चोर आया और उसके गाडी का गेट खोलकर अंदर घुसकर जेब में रखे पर्स जिसमें नगद ₹8000, ड्रायविंग लायसेंस, सेंट्रल बैंक का ए.टी.एम. व कार्बन कंपनी का मोबाईल जिसमें सिम नंबर 7897969569, 8004836684 को उसके पेट का जेब फाडकर ले गया था तथा बगल वाले ट्रक के अंदर घुसकर इमरान खान के जेब में रखे नगर ₹1,000 व एक नग मोबाईल को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था, अन्वेषण के दौरान चोरी हुये मोबाईल के सीडीआर व लोकेशन की जानकारी के आधार पर आवेदक/अभियुक्त से पूछताछ कर प्रकटन कथन लिया जाकर चोरीशुदा मोबाईल जप्त किया गया था तथा इस आवेदक/अभियुक्त से कोई नगद राशि जप्त नहीं हो पाई है, अन्वेषण समाप्ति उपरांत आवेदक/अभियुक्त तथा सह अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध धारा 379 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता पर ही विचारण हेतु अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता का यह तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक 26.09.2019 से केन्द्रीय जेल रायपुर में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फॅसाया गया है। प्रकरण के सह आरोपी पुनीत राम उर्फ सोनू पारधी को इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त का प्रकरण

सह अभियुक्त से भिन्न नहीं है। आवेदक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। प्रकरण के जॉच में समय लगने की संभावना है। आवेदक नवयुवक हैं तथा उसके जेल में रहने से उसके दिमाग पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है तथा आवेदक छ.ग. का स्थायी निवासी है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होना चाहता है एवं न्यायालय द्वारा अधिरोपित सक्षम जमानत प्रस्तुत करने को तैयार व तत्पर है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र पर इस आधार पर आपत्ति की है कि आवेदक पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उसके द्वारा जमानत आवेदन पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया।

प्रकरण के अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि आवेदक पर अंतर्गत धारा 379 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का प्रकरण विचारण हेतु पंजीबद्ध किया गया है, जो कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। न्यायालय द्वारा सह अभियुक्त रूस्तम नेताम को जमानत का लाभ दिया जा चुका है, आवेदक/अभियुक्त का प्रकरण सह अभियुक्त से भिन्न नहीं है। अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रकरण प्रारंभिक स्तर पर है, जिसकी पूर्णता में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा

सकता। आवेदक नवयुवक है। अधिरोपित धारा आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। आवेदक दिनांक 26.09.2019 से अभिरक्षाधीन है। प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये एवं Parity के सिद्धांत का लाभ आवेदक को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा– 439 दण्ड़ प्रकिया संहिता, 1973 स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक की ओर से ₹20,000 (बीस हजार रूपये) की सक्षम/नगद जमानत एवं समतुल्य राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र पेश किया जाये तो उसे थाना तिल्दा नेवरा के अपराध क्रमांक 307/2019 (दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 444/2019 छ.ग. राज्य विरूद्ध पुनीतराम व एक अन्य) अंतर्गत धारा 379 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में निम्न शर्तो पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे :–

1. **अभियुक्त/आवेदक निष्पादित बंधपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।**
2. **अभियुक्त/आवेदक इस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा ।**
3. **अभियुक्त/आवेदक इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस**

अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

आदेश की प्रतिलिपि सहित मूल अभिलेख सहित संबंधित न्यायालय को एवं एक प्रतिलिपि सहित केस डायरी संबंधित आरक्षी केन्द्र को वापस लौटायी जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियमानुसार व्यवस्थित किये जाने के उपरांत विहित परिसीमाकाल में अभिलेखागार में संचित हो।

सही/–
(विक्रम प्रताप चन्द्रा)
द्वादश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, रायपुर की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. न्यायालय श्रीमती कंचन लता आचला, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिल्दा, जिला रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. थाना प्रभारी, थाना तिल्दा नेवरा, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही/–

(विक्रम प्रताप चन्द्रा)
द्वादश अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छत्तीसगढ़)